

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इब्रार अहमद खॉ मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय :- बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में वक्फ इस्टेट सं०-2658 औराई, अंचल बड़हरिया, जिला-सिवान की भूमि पर अवस्थित दरगाह का सौन्दर्यीकरण एवं चहारदीवारी आदि कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹105.40 लाख (एक करोड़ पाँच लाख चालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत वक्फ इस्टेट सं०-2658 औराई, अंचल बड़हरिया, जिला-सिवान की भूमि पर अवस्थित दरगाह का सौन्दर्यीकरण एवं चहारदीवारी आदि कार्य के उद्देश्य बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना से निबंधित औकाफ की विकास हेतु आय-सृजक एवं जन उपयोगी संरचनाएं जैसे वक्फ भूमि की घेराबंदी एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा BCD SOR 2022 एवं BCD Electric 2023 के दरों के आधार पर प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹105.40 लाख (एक करोड़ पाँच लाख चालीस हजार रुपये) मात्र का विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश -सह- आवंटनादेश संख्या- 361 दिनांक- 08.09.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र के निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्तालोक में बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में वक्फ इस्टेट सं०-2658 औराई, अंचल बड़हरिया, जिला-सिवान की भूमि पर अवस्थित दरगाह का सौन्दर्यीकरण एवं चहारदीवारी आदि कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹105.40 लाख (एक करोड़ पाँच लाख चालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि बजट मांग संख्या-30 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0107-वक्फ सम्पति के रख-रखाव सुरक्षा तथा संवर्द्धन विषय शीर्ष-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड-30-2250008000107 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

4. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कोषागार विपत्र BTC- 46 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। उक्त राशि की निकासी कर WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/O BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA का पी०एल० खाता संख्या-PTSPLA029 में लेजर का नाम-Waqf Vikas Yojana, लेजर आई०डी०सं०-13815 में CFMS द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को अंतरित करेंगे। अंतरण के पश्चात् CFMS की अंतरण प्रति वक्फ प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।

6. उक्त स्वीकृत राशि उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1203, दिनांक-14.08.2018 में उल्लिखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अन्यत्र यथा कर्मियों का वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7355 (वि०), दिनांक-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-4989 वि०(2) दिनांक-16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।
10. योजना का क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
11. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो इसके लिए प्राधिकृत है।
12. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-10-(WVY)-36/2025...../ पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-10-(WVY)-36/2025...../ पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-10-(WVY)-36/2025...../ पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-10-(WVY)-36/2025...../ पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-10-(WVY)-36/2025...../ पटना, दिनांक:-

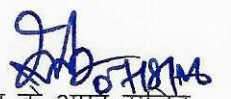
प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-10-(WVY)-36/2025..... 262 / पटना, दिनांक:- 07/08/26

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव